तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.12.2019	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। इस प्रकरण में दिनांक 29.11.2019 को उभय पक्ष की बहस समाअत की गई। जिसका निस्तारण इस आदेशिका के तहत किया जाता है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि नये खसरा नम्बर 1765/982 तादादी 0.24 हैक्टेयर भूमि वाके रोही रोड़ा में स्थित है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 19 की पैतृक खातेदारी भूमि पुराना खसरा नम्बर 431 का भाग है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 19 के पिता,दादा, ससुर अमरसिंह पुत्र जीवराजसिंह के नाम से वादगत भूमि की खातेदारी चली आ रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 19 का वादगत भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त रहा है लेकिन उक्त खसरा नम्बर का जमाबन्दी में कही उल्लेख नहीं किया गया है। वादगत भूमि प्रार्थी के पिता अमरसिंह की रही होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। इस कारण दावे के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वकील अप्रार्थी सं. 21 व 22 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि पुराना खसरा नम्बर 431 तादादी 46 बीघा 8 बिस्वा में अमरसिंह के नाम स्थित रहीं है । पुराना खसरा नं. 431 तदादी 46 बीघा 8 बिस्वा में से 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि सड़क में अवाप्त हो गई जिसका इन्तकाल सं. 598 दर्ज हुआ। इसके बाद प्रार्थी के पिता अमरसिंह ने 15 बीघा भूमि अलग–अलग बैयनामों से बैय कर दी जिसके बाद प्रार्थी के पिता के नाम 25 बीघा 11 बिस्वा भूमि शेष रही, तत्पश्चात प्रार्थी के पिता अमरसिंह व उसके भाई आसूसिंह, तख्तसिंह के मध्य सम्पूर्ण भूमियों को मिला कर विभाजन हो गया जिसमें पूराना खसरा नम्बर 431 में से 13 बीघा 3 बिस्वा भूमि आसूसिंह को प्रदान कर दी गई तथा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि तख्तसिंह को प्रदान कर दी गई जिसका इन्तकाल सं. 809 दर्ज हुआ । इस प्रकार प्रार्थी के पिता के हिस्से में खसरा नम्बर 431 की कोई भूमि शेष नहीं रही, इस कारण प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाता है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति कारित हो रही है। इस लिये प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन अवलोकन किया, वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 19 की पैतृक खातेदारी भूमि पुराना खसरा नम्बर 431 का भाग है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 19 के पिता,दादा, ससुर अमरसिंह पुत्र जीवराजसिंह के नाम से वादगत भूमि की खातेदारी चली आ रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 19 का वादगत भूमि 6/12/19 उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म

पर संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 19 के हित समान एवं जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह प्रथम दृष्टया साबित होता है कि वादगत भूमि पुराना खसरा नम्बर 431 तादादी 46 बीघा 8 बिस्वा में अमरसिंह के नाम स्थित रहीं है। पुराना खसरा नं. 431 तदादी 46 बीघा 8 बिस्वा में से 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि सड़क में अवाप्त हो गई जिसका इन्तकाल सं. 598 दर्ज हुआ। इसके बाद प्रार्थी के पिता अमरसिंह ने 15 बीघा भूमि अलग–अलग बैयनामों से बैय कर दी जिसके बाद प्रार्थी के पिता के नाम 25 बीघा 11 बिस्वा भूमि शेष रही, तत्पश्चात प्रार्थी के पिता अमरसिंह व उसके भाई आसूसिंह, तख्तसिंह के मध्य सम्पूर्ण भूमियों को मिला कर विभाजन हो गया जिसमें पूराना खसरा नम्बर 431 में से 13 बीघा 3 बिस्वा भूमि आसूसिंह को प्रदान कर दी गई तथा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि तख्तसिंह को प्रदान कर दी गई जिसका इन्तकाल सं. 809 दर्ज हुआ । इस प्रकार प्रार्थी के पिता के हिस्से में खसरा नम्बर 431 की कोई भूमि शेष नहीं रही, इस कारण प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टिया मामला साबित नहीं होता है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है तथा ना ही प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होनी है। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलास सुनाया गया।

24/1/2020

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.24 16:29:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: